

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15630/2021

1. कमल कुमार पुत्र श्री. आत्मा राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गांव 1617 एच घनजटियान, तहसील श्री करणपुर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान। (रोल नं. 15084)
2. शशिकांत शर्मा पुत्र श्री खेमचंद शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मकान नं. आर-425, सर्किट हाउस के सामने, यूआईटी कॉलोनी, जिला - भरतपुर, राजस्थान। (रोल नं. 15320)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर, एग्जामिनर के माध्यम से, एस.पी. 40 रीको इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली रोड, कूकस, जयपुर।
4. राहुल कुमार खंडेलवाल पुत्र श्री सुनील कुमार खंडेलवाल, निवासी वी.पी.ओ. नांगल राजावतान, 182 आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं. 2, जिला - दौसा, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

के साथ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15637/2021

1. गगनदीप पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 04, गली संख्या 01, पुरानी आबादी, जिला - श्रीगंगानगर, राजस्थान (रोल नं. 28862)।
2. विक्रम सिंह गुर्जर पुत्र श्री जगदीश कुमार गुर्जर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 4290 नरसिंह कॉलोनी, नाहरगढ़ किले के नीचे, पुरानी बस्ती, जयपुर जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नंबर 33293)।
3. रवि गुर्जर पुत्र श्री दुर्गालाल गुर्जर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 4290 नाहरगढ़ किल की नीचा, मीना पाड़ा, पुरानी बस्ती, जयपुर जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 30980)।
4. पंकज शाक्य पुत्र श्री राजेंद्र कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मकान नंबर डी-119, केदार चौक पुरानी आबादी वार्ड नंबर 4, श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान (रोल नंबर 37111)।
5. अजय मीना पुत्र श्री रामधन मीना, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 4203, नीमरी पुलिस थाना के पास, छिपो की बगीची, नाहरगढ़ रोड, जयपुर जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 17603)।

6. देवेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरफूल मीना, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम चैनपुरा पोस्ट डोरोली, तहसील कठूमर, खेरली, अलवर, जिला अलवर, राजस्थान (रोल नं. 40446)
7. ममता बैरवा पुत्री श्री बाबूलाल बैरवा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 2/287, मालवीय नगर, जयपुर, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 17126)।
8. तरुण मदान पुत्र श्री विजय कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 89 बी, हरमिलापी कॉलोनी, श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान (रोल नंबर 23806)।
9. आलोक कुमार स्वामी पुत्र श्री विनोद कुमार स्वामी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी आमली वाले बालाजी के पास, वार्ड नं. 21, रिंगस, सीकर, जिला - सीकर, राजस्थान (रोल नं. 24970)।
10. राहुल शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 15, कल्याणपुरी-ए, कल्याणपुरा, मानसरोवर, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 30538)।
11. सतीश शर्मा पुत्र श्री. जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ बलदेवगढ़, तहसील राजगढ़, जिला - अलवर, राजस्थान (रोल नं. 24393)।
12. नवीन कुमार मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीना, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी पी. नं. 184, गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 26559)।
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ-खान पेंघोर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 26971)।
14. कामेश गर्ग पुत्र श्री. ईश्वरी प्रसाद गर्ग, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 63, राजेंद्र नगर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 27031)।
15. सोमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी आर-51/180 गोविंद नगर, पश्चिमी आमेर रोड, जयपुर, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 23982)।
16. महेश चंद शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी गांव - जगमालपुरा, जगमालपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नंबर 33721)।
17. अमित कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 59, राम देव मंदिर बलाई बस्ती शास्त्री नगर, जयपुर, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 25797)
18. हितेश परमार पुत्र श्री नरेंद्र कुमार परमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी दर्जियो का चौक, खांडा फलसा, जोधपुर, जिला - जोधपुर, राजस्थान (रोल नंबर 17482)।
19. दिव्या गोयल पुत्री श्री प्रकाश गोयल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मकान नं. 397, सुभाष नगर, पानी की टंकी के पास, पाल रोड, जोधपुर, जिला - जोधपुर, राजस्थान (रोल नं. 24321)।

20. रेणु बाला पुत्री श्री बृजलाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 19, उदाराम चौक, खेतरपाल मंदिर के पास, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान (रोल नं. 22958)।
21. मोहम्मद नीम कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल लतीफ कुरैशी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 27/143, मेहताब की ताल के पास, जुनावास, भीलवाड़ा, जिला - भीलवाड़ा, राजस्थान (रोल नं. 15008)।
22. हर्षित शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी सी-33 जेडीए कॉलोनी सिरिस रोड, भांकरोटा, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 25853)।
23. कृष्ण सिंह पुत्र श्री रूप सिंह चौहान, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 32, न्यू बाबा रामदेव मंदिर के पास, सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानगर, राजस्थान (रोल नं. 37246)।
24. दुष्यंत पुत्र श्री करतार सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी बी-142, जवाहर नगर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 30736)।
25. हिमांशु शर्मा पुत्र श्री गिरीश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी आदर्श नगर सेक्टर-1, बयाना, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 15512)।
26. साहिल कुमार यादव पुत्र श्री बनवारी लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 32/256, रोशन साइकिल स्टोर के सामने, कुम्हेर गेट, मेन मार्केट, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 15160)।
27. रविकांत कटारा पुत्र श्री लक्ष्मी कांत, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी मोहल्ला रूपिया पायसा पुराना बयाना बस स्टैंड, भरतपुर जिला भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 32592)।
28. पवन कुमार सिंघल पुत्र श्री रमेश चंद सिंघल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी मथुरा गेट के सामने, भारत स्टूडियो के सामने, भरतपुर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 21246)।
29. पूनम पुत्री श्री गोविंद सिंह सैनी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बामड़ा कॉलोनी, सुभाष चौक, बयाना, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 26355)।
30. खुशबू गौतम पुत्र श्री सुरेन्द्र बाबू, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 591 इयान/809, बलदेव बिहार खरिका तेलीबाग, लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश (रोल नं. 40429)।
31. योगेन्द्र सैनी पुत्र श्री त्रिलोक चंद सैनी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी नमक कटारा चांदपोल गेट, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 17260)।
32. नितिन मित्तल पुत्र श्री रामवतार मित्तल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मित्तल मशीनरी स्टोर पंचायत समिति के सामने अलवर रोड नगर भरतपुर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 27325)।

33. आदेश पुत्र श्री महेश चंद, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी श्याम नगर कॉलोनी, सेंट्रल स्कूल के पास, भरतपुर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 37681)।
34. उमेश कुमार वर्मा पुत्र श्री बीरेंद्र कुमार वर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी शिव नगर, आर्य एजेंसी सर्कुलर रोड के सामने, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 15156)।
35. अंसुल गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मकान नं. 3/17, हाउसिंग बोर्ड जवाहर नगर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 29353)।
36. राहुल कुमार पुत्र श्री अतर सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वीपीओ पीली, तहसील नदबई, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 15418)।
37. हरेंद्र कुमार पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गोपाल गढ़ जधीना गेट, भरतपुर, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नंबर 41016)।
38. अंकित कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ माई, माई, जिला - भरतपुर, राजस्थान (रोल नं. 28526)।
39. पल्लव शर्मा पुत्र श्री संजीव शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गायत्री पब्लिक स्कूल, गौर मोहल्ला, अरैन, अजमेर, जिला - अजमेर, राजस्थान (रोल नं. 41945)।
40. एकता चेजारा पुत्री राम लाल चेजारा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी माया विहार, कॉलोनी वार्ड 22, कोर्ट के पास, जिला - श्री माधोपुर, राजस्थान (रोल नं. 35571)।
41. शोभित खन्ना पुत्र श्री आनंद खन्ना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 2128 नगरपारा गंगोरी बाजार, जलकल विभाग के सामने, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 57554)।
42. हेम राज गुर्जर पुत्र श्री कन्हैया लाल गुर्जर, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गांव जोधुला वाया मैद, तहसील - विराट नगर, जिला - जयपुर, राजस्थान (रोल नंबर 27096)।
43. अनिल शर्मा पुत्र श्री माखन लाल शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 4, सादुलशहर, श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान (रोल नं. 33875)।
44. मयंक भारद्वाज पुत्र श्री दीपक कुमार भारद्वाज, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी चितवन की गली, पुलिस लाइन के पास, मालाखेड़ा गेट के बाहर, अलवर जिला - अलवर, राजस्थान (रोल नंबर 25693)।
45. पीयूष शर्मा पुत्र श्री सज्जन लाल शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 5/4, न्यू सिविल लाइन, हाउसिंग बोर्ड, जिला - बांसवाड़ा, राजस्थान (रोल नं. 29265)।
46. शिल्पा चौधरी पुत्री श्री महेंद्र सिंह मूंड, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गांव भैरूपुरा, पोस्ट कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान (रोल नंबर 24813)।
47. सचिन कुमार पुत्र श्री शुभकरण, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी गांव झटावा खुर्द, पोस्ट निरधनु, मलसीसर, झुंझुनू, राजस्थान (रोल नंबर 25935)।

48. भुवन सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 43, बीएसएनएल कार्यालय के पीछे, सुरेशिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़, राजस्थान (रोल नं. 19999)।
49. भगत सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ हेतमसर, वाया नुआ, झुंझुनू, राजस्थान (रोल नंबर 29214)।
50. उमंग गढ़वाल पुत्र श्री जय करण सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव ईशरपुरा, पोस्ट हमीरी कलां, मलसीसर, झुंझुनू, राजस्थान (रोल नंबर 22973)।
51. विकास कुमार गुरवा पुत्र श्री गुलझारी लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 5, मेघवाल मोहला, गांव बृजलालपुरा, तहसील चिरावा, झुंझुनू, राजस्थान (रोल नं. 24078)।
52. मनोज कुमार पुत्र श्री रामनिवास, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी भूरासर का बास, झुंझुनू, राजस्थान (रोल नं. 26474)।
53. आशुतोष सैनी पुत्र श्री गोपाल सैनी, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी तिलक नगर, देवीपुरा रोड, प्रताप नर्सरी के पास, जिला - सीकर, राजस्थान (रोल नं. 18066)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15638/2021

1. हिमांशु शर्मा पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सी.एच.बी. जोधपुर के पास।
2. कुलदीप चौहान पुत्र श्री नाथूनाथ, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी किसान छात्रावास के पास, मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)।
3. गोविंद अरोड़ा पुत्र श्री कैलाश अरोड़ा, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी सी.एच.बी. जोधपुर के पास।
4. अमित बोरावर पुत्र श्री महेश बोरावर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी यूको बैंक प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर के पास।
5. दिलीप प्रजापत पुत्र श्री रामदेव प्रजापत, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी यूको बैंक प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर के पास।
6. मोहम्मद अदनान पुत्र मोहम्मद शादिक, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नागोरीगेट, जोधपुर।
7. सतीश बिश्नोई पुत्र श्री बिरमा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बिश्नोई मोहल्ला, रामदेव कॉलोनी, चांदपोल, जोधपुर (राजस्थान)।

8. रेखा राजपुरोहित पुत्री श्री गणपत सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 27, राजपुरोहितो का बास, सुकरलाई, रूपावास, जिला पाली (राज.)।
9. शुभम व्यास पुत्र श्री अशोक कुमार व्यास, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी लालाणी व्यासों का चौक, जिला बीकानेर।
10. मुकुल आचार्य पुत्र श्री अशोक आचार्य, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी बाहरी उस्ता बारी, हरोलाई हनुमान मंदिर रोड, मूंगगिरी गुफा के पास, बीकानेर (राज.)।
11. कालीचरण पारीक पुत्र देवीदत्त पारीक, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी पांडे जी की ताल के पास, इंदिरा कॉलोनी, जिला बीकानेर (राज.)।
12. सौरभ व्यास पुत्र श्री जय कुमार व्यास, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मुंडरों का चौक, जिला बीकानेर (राज.)।
13. दिशांत सोलंकी पुत्र श्री राजेश सोलंकी, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी अंदर शीतलागेट, महादेव मंदिर के पास, जिला बीकानेर (राज.)।
14. शिवम व्यास पुत्र श्री श्याम सुन्दर व्यास, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी नाथानियो की सराय, रंगा की गली बारह गुवाड़ चौक, बीकानेर (राज.)।
15. रमजान भुट्टा पुत्र अब्दुल भुट्टा, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी महबूब दर्जी की गली, तेलीवाड़ा रोड, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
16. लेखा मोदी पुत्री श्री ईश्वर दयाल मोदी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मकान नं. 1, वकीलो की गली, छुटीना कुआं, जिला बीकानेर (राज.)।
17. साक्षी मोदी पुत्री श्री सुशील कुमार मोदी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 1/97 मुक्ता प्रसाद नगर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
18. अनन्या मिश्रा पुत्री बृजेश मिश्रा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पटेल नगर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
19. नवरतन व्यास पुत्र श्री विष्णु दत्त व्यास, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहता चौक, उधोदास की पेरोल, जिला बीकानेर (राज.)।
20. विजय लक्ष्मी मोदी पुत्री श्री गौरी शंकर मोदी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 4 - ई-274 जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर (राज.)।
21. कोमल मोदी पुत्री गिरधारी लाल मोदी, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी बी-1-44 सुदर्शन नगर, पवन पुरी, बीकानेर (राज.)।
22. रिजवाना परिहार पुत्री अब्दुल हमीद परिहार, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सोनारो की बगेची के पीछे, भारत गैस एजेंसी के सामने, जिला बीकानेर (राज.)।
23. असरफ पुत्र अनवर अली, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी राजस्थान पत्रिका मोहल्ला के पीछे, पुरानी मस्जिद गली, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
24. शुभम गहलोत पुत्र अनिल कुमार गहलोत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी सती दादी मंदिर, बीपीओ पलाना, बीकानेर (राज.)।

25. महेश सुथार पुत्र श्री श्यामलाल सुथार, उम्र लगभग 25 वर्ष, उदयरामसर, बीकानेर (राजस्थान) निवासी।
26. कृष्ण चंद्र चूरा पुत्र पुरुषोत्तम दास चूरा, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी जस्सूसर गेट बीकानेर (राजस्थान)।
27. विजेंद्र सिंह भाटी पुत्र भारू सिंह भाटी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ए-28 वल्लभ गार्डन, शिव शक्ति मार्बल के पास, बीकानेर (राजस्थान)।
28. आदित्य तिवारी पुत्र श्री सत्य नारायण तिवारी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 13/125 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (राजस्थान)।
29. मनीष कुमार शर्मा पुत्र रमाकांत शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मुकुंद नगर, जयपुर (राजस्थान)।
30. अभिषेक स्वामी पुत्र रामकिशन स्वामी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी नाथूसर बास, बीकानेर (राज.)।
31. साहिल चौहान पुत्र मो. हुसैन, उम्र लगभग 22 वर्ष, पाबुबारी, बीकानेर (राजस्थान) निवासी।
32. मृत्युंजय सैन पुत्र राजेश कुमार सैन, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 120, 121, ओटीटी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर (राजस्थान)।
33. बृजमोहन राजपुरोहित पुत्र श्री गोवर्धन लाल राजपुरोहित, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सदाफतेह, झांवरों का चौक, बीकानेर (राज.)।
34. रवीना श्रीमाली पुत्री श्री गिरिराज श्रीमाली, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मोहल्ला चुंगीरान ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर (राजस्थान)।
35. सचिन सोनी पुत्र श्री श्रवण सोनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बी-4-259, सुदर्शन नगर, बीकानेर (राज.)।
36. अज़ाज़ अहमद पुत्र लियाकत अली, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मोहल्ला चुंगरार, बीकानेर (राज.)।
37. विनोद सैन पुत्र चंदन राम सैन, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सी- 411 जी राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी, जैसलमेर, (राज.)।
38. सीमा जांगिड़ पुत्री ताराचंद जांगिड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी प्राइवेट बस स्टैंड, तहसील डीडवाना जिला नागौर (राजस्थान)।
39. अमित गरुवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव राजेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़, राजेरू, बीकानेर (राज.)।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

-----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15640/2021

1. सत्येंद्र कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गंगा लहरी गौड़, उम्र लगभग 36 वर्ष, प.नं. 13-ए, किशन विहार, गोनेर रोड, जयपुर 302031 (राजस्थान)। रोल नं. 29787
2. मनुराज सिंह पुत्र शिवराज सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, प.नं. 151-ए, श्रीराम नगर-ए, खिरनी फाटक रोड, जोतवाड़ा, जयपुर (राज.)। रोल नं. 22302
3. तरुण कुमार शर्मा पुत्र बट्टी प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, पंचायत समिति के पीछे, शिव कॉलोनी, बांदीकुई-303313 (दौसा) रोल नं. 22811
4. किरण राजपूत पुत्र रमेश सिंह राजपूत, उम्र करीब 34 वर्ष, 11, श्रीमल कॉलोनी, लाल हालवे के पास, हिदा की मोरी, जयपुर, त्रिपोलिया बाजार रोल नंबर 38364
5. प्रियंका मीना पुत्री सुरेश मीना, उम्र करीब 24 वर्ष, बनजारो का मोहल्ला, वीपीओ काचरोदा पुहुलेरा, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 15046
6. मेघा सिंघल पुत्री हरि मोहन सिंघल, उम्र करीब 26 वर्ष, नई मंडी के पीछे, अग्रवाल कॉलोनी, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान, रोल नं. 36218
7. हरीश साहू पुत्र बनवारी लाल साहू, उम्र करीब 21 वर्ष, अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड, टोंक, राजस्थान रोल नंबर 18767
8. रामजस गुर्जर पुत्र प्रहलाद गुर्जर, उम्र करीब 19 वर्ष, ग्राम पोस्ट सोरण, तह. जिला टोंक, राजस्थान रोल नं. 35660
9. दिव्या सैन पुत्री भगवान सहाय सैन, उम्र लगभग 27 वर्ष, जैन मंदिर के पास, आदर्श नगर डिपो टोंक, राजस्थान रोल नं. 22336
10. उपासना शर्मा पुत्री सुरजानी शर्मा पता सुरजानी शर्मा, उम्र करीब 24 साल, टीबा टोल टैक्स, होटल के पीछे राज फोर्ट, टोंक रोड 16 किलोमीटर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान रोल नंबर 27999
11. संतोष मीना पुत्री बनवारी लाल मीना, उम्र करीब 26 साल, 4 सी 19, राजकीय मालती स्टोरी, गांधी नगर, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 25362
12. रजत सिंह पुत्र इंद्र भूषण गुप्ता, उम्र लगभग 25 वर्ष, राजीव कॉलोनी, टीवी टावर के पास, डीग, भरतपुर, राजस्थान रोल नं. क्रमांक 22213
13. शिव कुमार मीना पुत्र शंकर लाल मीना, उम्र लगभग 19 वर्ष, वीपीओ मथासुला, तह. जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान रोल नं. 18226
14. अजय कुमार बेनीवाल पुत्र चिरंजी लाल बैरवा, उम्र लगभग 24 वर्ष, सामुदायिक केंद्र के पास, वीपीओ वाटिका, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 20502
15. दिनेश कुमार वर्मा पुत्र महेश कुमार, उम्र लगभग लगभग 22 वर्ष, ग्राम धाधा, पोस्ट सुदरपुरा, तह. कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 34534
16. प्रवीण शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, उम्र करीब 23 वर्ष, तहसील परबतसर, किनसरिया, नागौर, राजस्थान रोल नं. 15294



17. नेहा गौड़ पुत्री घनश्याम गौड़, उम्र करीब 23 वर्ष, 814-ए, बंशी भवन, टिक्की वालों का रास्ता, किशनपोलबाजार, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 29619
18. जूही पुत्री राजबीर सिंह, उम्र करीब 31 वर्ष, वार्ड नं. 11, गली नं. 2, सुखवंत पैलेस के पास, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर, राजस्थान रोल नं. 27065
19. राहुल बडोलिया पुत्र छोगा लाल बडोलिया, उम्र लगभग 19 वर्ष, 6, मां त्रिपुरा नगर, तेजाजई का बाड़ा, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 27945
20. निशा अग्रवाल पुत्री सतीश चंद अग्रवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, 14 सी, श्रीमाल कॉलोनी, हिंदा की मोरी, सूरजपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 31478
21. देव करण साहू पुत्र दलीप चंद साहू, उम्र करीब 31 वर्ष, गांव रायपुरा, पोस्ट रातूसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू, राजस्थान रोल नंबर 27501
22. सुमित्रा देवी पुत्री भैरा राम, उम्र करीब 27 वर्ष, 23, डबलीबास मोलवी 1 डीबीआई 1, पीलीबंगा, डबली राठान, हनुमानगढ़, राजस्थान रोल नं. 30494
23. सविता राजभर पुत्री नंदजी प्रसाद, उम्र लगभग 32 वर्ष, प. नं. 106, रॉयल तत्वम, इस्कॉन रोड, धोलाई, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान रोल एन. 19658
24. कशिश खर्वा पुत्री हरि नारायण खर्वा, उम्र लगभग 23 वर्ष, सी-17, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 31412
25. पुरुषोत्तम ठठेरा पुत्र रूप नारायण ठठेरा, उम्र लगभग 21 वर्ष, परमानंद कॉलोनी, लाडनू रोड, डीडवाना, नागौर, राजस्थान रोल नंबर 24348
26. खुशी राम मीना पुत्र दीप राम मीना, उम्र लगभग 21 वर्ष, गांव डोवनगर, पोस्ट सुकर, बामनवास, सवाई माधोपुर, राजस्थान रोल नंबर 26742
27. रामानंद शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, 180, हरियाणा मोहल्ला, वीपीओ नटोज, कठूमर, अलवर, राजस्थान रोल नंबर 15191
28. आशीष कुमार बंसल ओमप्रकाश बंसल पुत्र, उम्र लगभग 31 वर्ष, 101, भोला पट्टी, महू खास, हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान 322254 रोल नंबर 15170
29. दीपक शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, वीपीओ नटोज, तहसील कठूमर, नाटोज, जिला-अलवर, 321606, राजस्थान रोल नं. 25404
30. आकाश खंडेलवाल पुत्र दामोदर प्रसाद खंडेलवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, 3700, बाबू कतिबा, सूरजपोल बाजार, जयपुर राजस्थान, जयपुर, जाटपुर - 302003, राजस्थान रोल नंबर 22346
31. अशोक पाठक पुत्र सुशील कुमार पाठक, उम्र लगभग 29 वर्ष, डी/668, आरपीए, शास्त्री नगर, जयपुर 302016, राजस्थान रोल क्रमांक 15271
32. प्रणय शर्मा पुत्र उमेश शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, 60-ए, जय भवानी कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 24940
33. महेश शर्मा पुत्र ईश्वर लाल शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, 24, जैतपुरी कॉलोनी, 80 फीट रोड, महेश नगर, जयपुर, राजस्थान रोल नंबर 31928

34. अजय खुराना पुत्र अशोक कुमार खुराना, उम्र करीब 29 वर्ष, मकान नं. 1, गली नं. 7, सेतिया कॉलोनी, गुरुराम दास गुरुद्वारा के पास, श्री गंगानगर, राजस्थान रोल नं. 29790
35. लक्ष्मी लावा पुत्री घेटन लावा, उम्र करीब 22 वर्ष, एच-307 के पास, एच-ब्लॉक, सिद्धार्थ नगर, गेटोर जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 18253
36. खुशी बंसल पुत्री संतोष कुमार बंसल, उम्र करीब 21 वर्ष, 13/423, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान रोल नं. 32620
37. मंगल प्रजापति पुत्र राजेंद्र प्रजापति, उम्र करीब 24 वर्ष, वार्ड नं. 30, सुभाष नगर भिंड, भिंड - 477001 (मप्र) रोल नं. 15372
38. शशि कांत मीना पुत्र केहरी मल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, प.नं. 56, श्याम नगर, रूपबास, अलवर 301001 राजस्थान रोल नं. 17923
39. देवेश कुमार पुत्र जगमोहन सैन, उम्र करीब 25 वर्ष, अशोक टाकीज के पीछे, खटीक पाड़ी मोहल्ला, अलवर 301001 राजस्थान रोल नं. 25262
40. राजाराम मीना पुत्र मुकेश कुमार मीना, उम्र करीब 23 वर्ष, दिल्ली गेट के बाहर, दूसर वाला कौन, मीना पाड़ी, अलवर 301001 राजस्थान रोल नं. 31050
41. नितीश पुत्र राजेंद्र सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, मकान नं. 635, वार्ड 18, गली नंबर 1, किसान भवन के पास, शिव कॉलोनी, जींद, हरियाणा रोल नंबर 17218
42. रविन्द्र कुमार स्वामी पुत्र कान्हा राम स्वामी, उम्र करीब 23 वर्ष, मकान नंबर 11-सी-2, शक्ति नगर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान रोल नंबर 42451
43. अभिषेक शर्मा पुत्र राजेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 27 वर्ष, ए-4, बालाजी नगर, गोवर्धन विलास, सेक्टर-14, आर.एच.बी., उदयपुर, राजस्थान रोल नंबर 16953
44. ललित कुमार वर्मा पुत्र मालचंद वर्मा, उम्र करीब 27 वर्ष, पावर हाउस के सामने, किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर 303603 रोल नंबर 32163
45. अनिल कुमार पुत्र आनंद प्रकाश, उम्र करीब 32 वर्ष, एच-109, इंदिरा नगर, झालाना इंगरी फेज-2 302004 रोल नं. 15110
46. इसरार खान पुत्र मोहम्मद उशमान खान, उम्र लगभग 27 वर्ष, 49 मदीना नगर, जोतवाड़ा, जयपुर 302012 रोल नं. 32292

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

-----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15641/2021

1. हेमंत परिहार पुत्र श्री चंदा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी तापरिया बेरा, चांद पोल के सामने, जिला-जोधपुर (राजस्थान) (रोल नं. 15348)

2. पारस राखेचा पुत्र श्री विजय राज, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 48-सी, श्री राम मार्ग, आयुषी टावर के पास, पाल रोड मसूरिया, जिला- जोधपुर (राज.) (रोल नं. 25595)
3. हेमंत कुमार शर्मा पुत्र श्री कमल किशोर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 21, आइडिया टावर के पास, तारानगर, जिला- चूरू (राज.) (रोल नं. 15467)
4. आशीष कुमावत पुत्र श्री श्रवण कुमार कुमावत, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, वीपीओ- पचार, दांतारामगढ़, पचार, जिला- सीकर (राज.) (रोल नं. 35470)
5. राहुल सांखला पुत्र श्री राकेश सांखला, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी शारदा कॉलोनी, बालद रोड, ब्यावर, जिला-अजमेर (राजस्थान) (रोल नं. 15270)
6. अशोक कुमार चौधरी पुत्र श्री बाबू लाल चौधरी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ए-43, पटेल नगर, सिंवर मोड, पोस्ट- सिंवर, जोतवाड़ा, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 26955)
7. गौरव चतुर्वेदी पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गांधी नगर, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 15577)
8. रामजी लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभु नारायण शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ टिटारिया, तहसील- चाकसू, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 35868)
9. महेंद्र जाखड़ पुत्र श्री शिवराज जाखड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी माना बेरा, अजमेर रोड, रघुनाथपुरा, पोस्ट-पीह परबतसर, जिला- नागौर (राजस्थान) (रोल नं. 28303).
10. चन्द्र वली पुत्री श्री गगन भोजवानी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी हिंदू पाड़ा सनातन धर्म मंदिर के पास, जिला- अलवर (राजस्थान) (रोल नं. 17602)
11. अर्पित कुमावत पुत्र श्री नानू राम कुमावत, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीकेआई क्षेत्र, लक्ष्मीनारायणपुरा, जिला-जयपुर (राज.) (रोल नं. 16194)
12. दिलीप चौहान पुत्र श्री प्रकाश, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी जे-231, पावर हाउस के पीछे, प्रताप नगर, जिला-जोधपुर (राज.) (रोल नं. 17623)
13. जितेश सोनगरा पुत्र श्री प्रकाश सोनगरा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी के-140, इंद्रा कॉलोनी, पुलिस चौकी के पीछे, प्रताप नगर, जिला- जोधपुर (राज.) (रोल नं. 15088)
14. सलोनी ओझा पुत्री श्री भानु ओझा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गणेश कॉलोनी, फतेहपुर, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 40948)
15. आकांक्षा पांडे पुत्री श्री राकेश कुमार पांडे, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी कृष्णा पुरम कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 10, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 40299)
16. हिना सोनी पुत्री श्री राकेश सोनी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी राधा रमन मंदिर के पास, पुरानी शिवपुरी, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 32524)

17. जूली सोनी पुत्री श्री कैलाश सोनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी, फतेहपुर रोड, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 43499)
18. गगन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी कोठी नं. 26 के पास, फतेहपुर, टोंगरा रोड, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 39245)
19. जुबेर खान पुत्र श्री शफीक खान, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी अकलेरा पुराना बस स्टैंड, तहसील- अकलेरा, जिला- झालावाड़ (राजस्थान) (रोल नं. 30083)
20. मोहम्मद आकिब खान पुत्र श्री अब्दुल कयूम खान, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी पुरानी कोतवाली के पास, बंदूक वालान वाली गली, मंगलपुरा, जिला- झालावाड़ (राज.) (रोल नं. 15272)
21. सुनील नटवाडिया पुत्र श्री रणजीत राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी तन की ढाणी, मंडाभोपवास, कालवाड़, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 31191)
22. शिवम बाजपेयी पुत्र श्री अजय बाजपेयी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 31, सुभाष नगर भिंड, जिला- भिंड (राज.) (रोल नं. 15401)
23. राहुल परेवा पुत्र श्री रामजी लाल परेवा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी 203-204, सिंधु नगर, भूमिया जी मंदिर, मुरलीपुरा, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 15429)
24. ज्योति शर्मा पुत्री श्री भवानी शंकर शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 4, शंकर विहार विस्तार-बी, मुरलीपुरा स्कीम, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 17481)
25. सोनाली शर्मा पुत्री श्री स्वर्गीय हरिओम शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सिद्धेश्वर मेला मैदान के सामने, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 30065)
26. सौरभ चतुर्वेदी पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी गांधी नगर, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 15578)
27. हेमंत लखारा पुत्र श्री सत्य नारायण, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी कुमारिया कुआ, जतियों की गली, जिला-जोधपुर (राजस्थान) (रोल नं. 15399)
28. किरण जांगिड़ पुत्री श्री प्रमेन्द्र जांगिड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, ए-114, श्याम नगर, झोटवाड़ा, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 26778)
29. पवन कुमार कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी बसरी खुर्द, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 31190)
30. दीपेश जैन पुत्र श्री प्रेम नारायण जैन, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम खरई, पोस्ट- खरई, तहसील- कोलारस, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 37950)
31. शुभम शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी 8/104, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला-जोधपुर (राजस्थान) (रोल नं. 17594)
32. प्रेमा राम पुत्र श्री किशन राम, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी 136, गोरचियों की ढाणी, ग्राम- परसाला, तहसील- बापिणी, जिला- जोधपुर (राज.) (रोल नं. 25805)
33. प्रदीप कुमावत पुत्र श्री प्रहलाद कुमावत, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी लालपुरा, तहसील-अम्बर, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 37123)

34. विशाल हटवाल पुत्र श्री गजानंद हटवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी हरिजन बस्ती, तहसील- चोमू, कालाडेरा, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 33012)
35. मीनू देवंदा पुत्री श्री मोहन लाल देवंदा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, डाबरी रामपुरा, डाबरी, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 38403)
36. कविता वैष्णव पुत्री स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर वैष्णव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मकान नं. 61, विष्णु लक्ष्मी नगर, आरटीओ ऑफिस के पीछे, बीजेएस कॉलोनी, जिला- जोधपुर (राज.) (रोल नं. 15451)
37. धर्मेन्द्र सांखला पुत्री श्री जितेंद्र सांखला, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 105, नेहरू नगर, बी आर बिड़ला स्कूल के सामने, झंवर रोड, जिला- जोधपुर (राजस्थान) (रोल नं. 25590)
38. नवदीप रत्न पुत्र श्री चैनदान रत्न, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी करणी कॉलोनी, करणी मंदिर के पास, जिला-नागौर (राजस्थान) (रोल नं. 21804)
39. लवली लोंगवानी पुत्री श्री कमलेश लोंगवानी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 17 ई/ 277, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला- जोधपुर (राजस्थान) (रोल नं. 35948)
40. कुलदीप सिंह परिहार पुत्र श्री दीपक, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी नवग्रह कॉलोनी, सेक्टर 2 के सामने, गोल पहाड़िया लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) (रोल नं. 18576)
41. शाश्वत यादव पुत्र श्री संजय यादव, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, जिला- सागर (म.प्र.) (रोल नं. 17456)
42. लक्ष्मण कुर्मी पुत्र श्री कन्हैयालाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम- आमेट, पोस्ट- रजौआ, जिला- सागर (म.प्र.) (रोल नं. 26540)
43. रोहित कुमार चौरसिया पुत्र श्री रमेश कुमार चौरसिया, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी शिव विहार कॉलोनी के सामने, तिली वार्ड, जिला- सागर (म.प्र.) (रोल नं. 20076)
44. अमित पुत्र श्री वेद प्रकाश, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. 10, मकान नं. 1275, भूना, जिला-फतेहाबाद (हरियाणा) (रोल नं. 15856)
45. राहुल गोले पुत्र श्री परिमल गोले, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी गणेश पुरा, फूटी पुलिया के पास मुरैना (म.प्र.) (रोल नं. 33244)
46. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी इंद्रा कॉलोनी, विष्णु मंदिर के पीछे, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 15035)
47. बंटी राठौड़ पुत्र श्री घनश्याम राठौड़, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट- कुंवरपुर, तहसील व जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 16031)
48. रिकिता रावत पुत्री श्री रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम- बागोड़ा, पोस्ट- खरई जालिम, तहसील- बैराड़, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 17319)
49. सौरभ लक्षकार पुत्र श्री मुरारी लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट- अमोल पठा, तहसील- करेरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 19948)

50. अमन गुप्ता पुत्र श्री महेश प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी सिटी सेंटर कॉलोनी करेरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 17379)
51. पूनम शर्मा पुत्री श्री कोमल प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मनियार बीज गोदाम के पास, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) (रोल नं. 38313)
52. अनीता सरैया पुत्री श्री भूरे लाल सरैया, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट जसलपुर, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) (रोल नं. 30882)
53. नितिन कुमार इस्टवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मकान नं. 102, चंद्र विहार कारगी ग्रांट, पोस्ट- बंजारावाला, जिला- देहरादून (उत्तराखंड) (रोल नं. 33326)
54. सोनल श्रीवास पुत्र श्री संतोष कुमार श्रीवास, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15, लालीपुर मंडला (म.प्र.) (रोल नं. 37329)
55. सिद्धार्थ भटनागर पुत्र श्री रामप्रकाश भटनागर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी शिवगीर मंदिर मार्ग के पास, दतिया (म.प्र.) (रोल नं. 15109)
56. गिर्राज पुत्र श्री भूले राम, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी हसनपुर सोहना, नूह (हरियाणा) (रोल नंबर 17736)
57. प्रमोद राजपूत पुत्र श्री बी.एस. राजपूत, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 164 सेक्टर 11-ए, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, जिला आगरा (यूपी) (रोल नंबर 28513)
58. रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री धनराज वर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गांव- मालवानी, 3 बारानी, नोहर, जिला- हनुमानगढ़ (राज.) (रोल नं. 28150)
59. पिंदू राम मीना पुत्र श्री जय राम मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट- बालाहेड़ा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान) (रोल नं. 15468)
60. आकांक्षा पुत्री श्री रामजी लाल, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, प्रजापत कॉलोनी, झुंझुनू (राज.) (रोल नं. 27164)
61. नुपुर खंडेलवाल पुत्री श्री कौशल खंडेलवाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी खेडलीगंज बस रेलवे स्टेशन रोड, अटरू बारां (राज.) (रोल नं. 39930)
62. गौरव पुत्र श्री रघुवीर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी डब्ल्यू नं. 2, ग्राम आदर्श नगर, पी.ओ. मैनावली, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) (रोल नं. 15714)
63. हरीश पुत्र श्री देवी लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट- पक्का भादवान, जिला- हनुमानगढ़ (राज.) (रोल नं. 28319)
64. सुनील प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल प्रजापत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी विवेकानंद नगर, सोनावा की झूंगर, वार्ड नं. 35 नया, जिला- अलवर (राज.) (रोल नं. 33686)
65. कुलदीप यादव पुत्र श्री जसवंत सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गांव- मुंडिया खेड़ा, पोस्ट- राजवाड़ा, तहसील- मुंडावर, जिला- अलवर (राजस्थान) (रोल नं. 26246)

66. आरती सोनी पुत्री श्री मोहन लाल सोनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 1 जा 4 काला कुआं, हाउसिंग बोर्ड, जिला (अलवर) (रोल नं. 27792)
67. नंदिनी नामा पुत्री श्री शिवचरण नामा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 46, प्रिंटर्स नगर, प्रथम सीताबाड़ी, सांगानेर, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 36794)
68. हर्षल नगर पुत्री श्री राजेश नागर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी मकान नं. 3026, बगरू वालों का रास्ता, पुरानी बस्ती, जिला- जयपुर (राज.) (रोल नं. 27708)
69. पूजा स्वामी पुत्री श्री प्रेम कुमार स्वामी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 74, विनोबा बस्ती, जिला- श्रीगंगानगर (राज.) (रोल नं. 27522)
70. अमित कुमार सोनी पुत्र श्री भवानी शंकर सोनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 22, सिनेमा हॉल के पीछे, नोहर, जिला- हनुमानगढ़ (राज.) (रोल नं. 38478)
71. लोकेश कुमार यादव पुत्र श्री बृज लाल यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 29, नयागांव माछरी, पोस्ट- पारा, तहसील रेनी, जिला अलवर (राज.) (रोल नं. 15213)
72. पॉटिंग खाण्डेल पुत्र श्री धर्म चंद शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गांव- खोरपुरी, पोस्ट- बड़ौदा मेव, तहसील- लक्ष्मणगढ़, जिला- हनुमानगढ़ (राजस्थान) (रोल नं. 29800)
73. नरेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री दया राम मेहरा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी राजीव कॉलोनी, न्यू मट्टंदा रोड, गैस गोदाम के पास, जिला- बूंदी (राज.) (रोल नं. 34066)
74. श्याम सुन्दर पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नई बस्ती, सोगरिया मेन रोड, गौरव ट्रेडर्स के सामने कोटा जंक्शन, जिला- कोटा (राज.) (रोल नं. 24649)
75. पीयूष सेन पुत्र श्री जयप्रकाश सेन, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी इन्द्रा मार्केट, बारां (राज.) (रोल नं. 33594)
76. कुलदीप सैन पुत्र श्री राम दयाल सैन, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट- सोप, नादोती, जिला- करौली (राज.) (रोल नं. 25448)
77. सोजल गुप्ता पुत्र श्री राजेंद्र गुप्ता, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी एन-26, गांधी नगर, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) (रोल नं. 29058)
78. रिया राठौड़ पुत्री श्री महेंद्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी 346, पंचवटी, पोल्ट्री फार्म के पास, सेंथी, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.) (रोल नं. 27193)
79. चंद्रवीर सिंह पुत्र श्री दुर्गा लाल परिहार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी आरएसडब्ल्यूसी-1 के पास, पंचवटी सेंथी, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.) (रोल नं. 25690)
80. नारायण लाल शर्मा पुत्र श्री दिनेश चंद्र शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 27, आर.ए. कॉलोनी, चामटी खेड़ा रोड, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.) (रोल नं. 23364)
81. सुमन घौसल्या पुत्री रामअवतार घौसल्या, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ढाणी घौसल्या वाली, गांव व पोस्ट- पटवारी का बास, जिला- सीकर (राजस्थान) (रोल नं. 40826)

82. कुसुम भाटी पुत्री खेमचंद भाटी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी भाटी फार्म हाउस, चूडिया रोड, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान) (रोल नं. 28475)
83. रागिनी अवस्थी पुत्री श्री प्रयाग नारायण अवस्थी, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी एल-381, केशवपुरम, आवास विकास-1, कानपुर नगर (उ.प्र.) (रोल नं. 25228)
84. दामोदर प्रसाद पुत्र श्री शंकर लाल कुमावत, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 7, चेजारो का मोहल्ला, दांता, जिला- सीकर (राज.) (रोल नं. 30550)
85. ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री जोधा राम मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गांव-हरदी, पोस्ट- कुंथड़ा खुर्द, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर (राजस्थान) (रोल नं. 38856)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16239/2021

1. दिवेश कुमार पुत्र सोमपाल सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, वार्ड नंबर 8, मोहला होलिका मंदिर, ठाकुर द्वार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2. अनीस अहमद पुत्र रईस अहमद, उम्र लगभग 21 वर्ष, घोसीपुरा, पट्टी कलां, पोस्ट रहमतगंज, सुआर, रामपुर, उत्तर प्रदेश।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16534/2021

राहुल जाटोलिया पुत्र श्री हरि लाल जाटोलिया, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी 227, महाराणा प्रताप नगर, जिला पाली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई.टी., (आर्य-I पुराना कैम्पस), एसपी-42, रीको इंडस्ट्रियल कुकस, दिल्ली रोड, जयपुर।

----प्रतिवादीगण



डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2422/2022

तेजपाल पुत्र श्री घीसू सिंह शेखावत, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गांव श्यामपुरा वाया फागलवा, तहसील - धोद, जिला - सीकर वर्तमान निवासी 65, पृथ्वीपुरा, रसाला रोड, जोधपुर (रोल नं. 15189)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3958/2022

नरेंद्र मेहरा पुत्र रामावतार मेहरा, उम्र करीब 22 वर्ष, प्लॉट नं.55 मेहरा भवन सुशील पब्लिक स्कूल सुशीलपुरा के सामने अजमेर रोड सोडाला जयपुर राजस्थान 302006

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर, थू द एग्जामिनर, एसपी-40, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, होटल ले मेरिडियन के पास, दिल्ली रोड, कूकस, जयपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3964/2022

1. मीनू वर्मा पुत्री हनुमान सहाय वर्मा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी गांव गिला की नांगल, पोस्ट नैला, वाया कनोता, तहसील बस्सी, जयपुर, गिला की नांगल, जयपुर राजस्थान 303012
2. ममता व्यास पुत्री कन्हैया लाल व्यास, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कॉर्नर 60 ए भगवती नगर द्वितीय करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान 302015

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रीको औद्योगिक क्षेत्र, कूकस, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3978/2022

फूल मीना पुत्री चौथमल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 09, महादेव नगर, मीनो की ढाणी, चरण नाडी, द्वितीय मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई.टी., परीक्षक के माध्यम से, (आर्य - I पुराना परिसर) एसपी-42, रीको औद्योगिक क्षेत्र, कूकस, दिल्ली रोड, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3998/2022

1. भूपेश खंडेलवाल पुत्र रामेश्वर खंडेलवाल, उम्र करीब 31 वर्ष, 57-ए, राम विहार विस्तार, गोनेर-लुणयवास रोड, आगरा रोड, जयपुर (रोल नं.31668)
2. शुभम कुमार शर्मा पुत्र चिरंजी लाल शर्मा, उम्र करीब 25 वर्ष, मकान नं. 2898, भिंडो का रास्ता, प्रथम चौराहा इंदिरा बाजार, जयपुर (रोल नं. 16667)
3. सुमंत दुबे पुत्र वीरेंद्र दुबे, उम्र करीब 25 वर्ष, एस.डी. 157, शांति नगर, हटवाड़ा रोड, जयपुर (रोल नं. 15074)
4. आदित्य वशिष्ठ पुत्र राधेश्याम शर्मा, उम्र करीब 26 वर्ष, 35, प्रताप नगर पुराना रामगढ़ मोड, आमेर रोड, जयपुर (रोल नं. 31148)
5. खुशवंत सिंह कुमावत पुत्र योगेश चंद्र कुमावत, उम्र करीब 30 वर्ष, 30, जगदीश कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर (रोल नं.18690)
6. हंसा प्रजापति पुत्री राजेंद्र कुमार, उम्र करीब 34 वर्ष, प.नं. 37 बी, लक्ष्मी नगर-1, छोपोलो की ढाणी, ढाणी कुमावतान, सांगानेर, जयपुर (रोल नं.15698)
7. विमल गुप्ता पुत्र देवेंद्र गुप्ता, उम्र करीब 24 वर्ष, प.नं. 7, गणेश विहार प्रथम, जेडीए ब्लॉक-बी के पीछे, नारदपुरा, जयपुर (रोल नं.16833)
8. प्रकाश चंद पुत्र सुरजान, उम्र करीब 26 वर्ष, वार्ड नं. 18, कचोलिया रोड, गोरा की ढाणी, विनायक स्कूल के पीछे, चोमू, जयपुर (रोल नं.28383)
9. अंजलि असीजा पुत्री सोहन लाल असीजा, उम्र करीब 27 वर्ष, 33/180, सेक्टर 3, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (रोल नं.38445)
10. अंकुर गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, उम्र करीब 26 वर्ष, वजीरपुर गेट के पास, जैन मंदिर के सामने, बड़ा बाजार, करौली (रोल नं.26219)
11. रमेश ठाकुर पुत्र राम नरेश ठाकुर, उम्र करीब 27 वर्ष, गांव रहीमपुर रुदौली, पोस्ट बिक्रमपुर बांडे, समस्तीपुर, बिहार (रोल नं.32814)
12. रविन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र करीब 35 वर्ष, लक्ष्मी प्लेस के पास, सुभाष चौक, बयाना, भरतपुर (रोल नं.40407)

13. प्रीति पुत्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल, निवासी सुभाष नगर, सोनी ब्यूटी पार्लर के पीछे, भरतपुर (रोल नं.17320)
14. पवन कुमार पुत्र आनंदी लाल, निवासी पठान पाड़ा, वन कार्यालय के सामने, बयाना, भरतपुर (रोल नं.35138)
15. अरशद अमन खान पुत्र अमजद खान, निवासी पठान पाड़ा, बयाना, भरतपुर (रोल नं.23885)
16. ओम प्रकाश मीना पुत्र जोधाराम मीना निवासी हरदी पोस्ट कुथारा खुर्द, हरदी, कनोता, जयपुर, राजस्थान (रोल नं.38856)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई.टी., परीक्षक के माध्यम से, (आर्य - I पुराना परिसर) एसपी-42, रीको औद्योगिक क्षेत्र, कूकस, दिल्ली रोड, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

---

याचिकाकर्तागण के लिए :

श्री बी.एस. संधू  
 श्री एस.के. श्रीमाली,  
 श्री दिशांत किरोडीवाल  
 श्री चिराग कलानी  
 श्री मुक्तेश माहेश्वरी  
 श्री युवराज सिंह मेड़तिया  
 श्री सुनील पुरोहित  
 श्री विवेक श्रीमाली  
 श्री राकेश अरोड़ा के लिए श्री मनीष राजपुरोहित।  
 श्री अंकित प्रकाश सिंह श्री हर्षित यादव के साथ।  
 श्री प्रदीप माथुर  
 श्री नरेन्द्र सिंह हाडा  
 श्री रामरख शर्मा (वीसी के माध्यम से)

प्रतिवादियों के लिए :

श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता  
 श्री अनिकेत तातेड़ और सुश्री सपना वैष्णव की  
 सहायता से।  
 श्री ए.के. शर्मा, सीनियर एडवोकेट  
 श्री विष्णु कांत शर्मा (वीसी के माध्यम से) द्वारा  
 सहायता प्राप्त

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

## आदेश

### रिपोर्ट करने योग्य

15/02/2024 को सुरक्षित

04/03/2024 को सुनाया गया

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे.

1. चूंकि सभी तात्कालिक याचिकाओं में एक समान विवाद शामिल है, हालांकि प्रासंगिक तथ्यों में मामूली भिन्नता है, इसलिए, वर्तमान अनुरूप निर्णय के प्रयोजनों के लिए, तथ्यों और प्रार्थना खंडों को ऊपर क्रमांकित डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15641/2021 से लिया जा रहा है, जबकि इसे एक प्रमुख मामले के रूप में माना जा रहा है; इस प्रकार, पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ और वर्तमान निर्णय में न्यायालय की टिप्पणियाँ भी, विशेष रूप से, मुख्य मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित होंगी।

1.1 प्रार्थना के खण्ड इस प्रकार हैं:-

“इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को कृपया अनुमति दी जाए और

ए) रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी दिनांक 28.10.2021 (अनुलग्नक 8) का आक्षेपित नोटिस, जिसमें स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट का संशोधित परिणाम घोषित किया गया था, कृपया अवैध घोषित किया जाए और तदनुसार इसे रद्द किया जाए;

बी) रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी दिनांक 30.10.2021 (अनुलग्नक 9) का आक्षेपित नोटिस, जिसमें स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के संशोधित परिणाम में नव चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार राउंड को पुनर्निर्धारित किया गया था, कृपया इसे अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध घोषित किया जाए और तदनुसार इसे रद्द किया जाए;

सी) प्रतिवादियों को 31.07.2021 को प्रकाशित आशुलिपिक परीक्षा 2020 के पदों पर भर्ती के पिछले अंतिम परिणाम (अनुलग्नक 6) को बरकरार रखने का निर्देश दिया जाए;

डी) याचिकाकर्ताओं को 31.07.2021 को प्रकाशित आशुलिपिक परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड- III (हिंदी और अंग्रेजी) और आशुलिपिक के पदों पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए;

ई) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित मानता है, कृपया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जाए;"

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने राज्य में जिला न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड- III (हिंदी/अंग्रेजी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 18.01.2020 को एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया।

2.1. याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र जमा किया और भर्ती प्रक्रिया (शॉर्टहैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट) में भाग लिया, जो 03.04.2021 से 08.04.2021 के बीच आयोजित की गई थी; इसके बाद, प्रतिवादियों ने 30.06.2021 को परिणाम घोषित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से योग्य घोषित किया गया।

2.2. इसके बाद, प्रतिवादियों ने दिनांक 06.07.2021 को एक नोटिस जारी किया जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि अनंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 28.07.2021 और 30.07.2021 के बीच दो स्लॉट में आयोजित किया जाएगा और उम्मीदवारों को उक्त नोटिस में संलग्न सूची में निर्धारित अनुसार मूल रूप से अपेक्षित दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद, प्रतिवादियों ने 31.07.2021 को अंतिम परिणाम घोषित किया और चूंकि चयनित उम्मीदवारों की संख्या कम थी, इसलिए पहले से तय त्रुटि का मार्जिन यानी 5% बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि ऐसी त्रुटियों को कुल शब्दों की संख्या से घटाया जाना निर्धारित किया गया था।

2.3. उपरोक्त परिणामों से व्यथित होकर, कुछ उम्मीदवारों ने प्रतिवादियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया और इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका भी दायर की, अर्थात् डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11003/2021 और अन्य संबंधित मामले। इस माननीय न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 25.10.2021 के आदेश के तहत मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना उक्त याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि प्रतिवादी संबंधित परीक्षा के परिणामों को संशोधित

करने जा रहे थे। तत्पश्चात, प्रतिवादियों ने अपने आक्षेपित आदेश 28.10.2021 के तहत दिनांक 30.06.2021 के अनंतिम परिणाम और दिनांक 31.07.2021 के अंतिम परिणाम को इस आधार पर रद्द कर दिया कि पूर्व में परिणाम तैयार करते समय सॉफ्टवेयर एजेंसी ने अभ्यर्थियों द्वारा की गई गलतियों को ध्यान में नहीं रखा और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम प्रकाशित किए गए, जिसमें त्रुटियों की कोई कटौती नहीं की गई और केवल सही टाइप किए गए शब्दों के आधार पर अंक दिए गए और कुछ अन्य विसंगतियां भी पाई गईं। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने संशोधित परिणाम और कट ऑफ अंक जारी किए; पिछले परिणामों में चयनित 46 अभ्यर्थियों को एक बार फिर संशोधित परिणामों में भी चयनित घोषित किया गया, जबकि पिछले परिणामों में चयनित घोषित किए गए लगभग 350 अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम में चयनित नहीं किया गया। इसके बाद प्रतिवादियों ने दिनांक 30.10.2021 के नोटिस के माध्यम से संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों (उपर्युक्त 46 अभ्यर्थियों को छोड़कर) के साक्षात्कार के लिए कार्यक्रम जारी किया।

2.4. मुख्य मामले याचिका संख्या 15641/2021 में याचिकाकर्ताओं ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने दिनांक 15.12.2021 को प्रश्नगत भर्ती के अंतिम परिणाम जारी किए, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अनुसार विसंगतियां थीं, अन्य बातों के अलावा, उक्त परिणामों की घोषणा से पहले न तो कोई निश्चित पद्धति थी और न ही कोई सूत्र इस्तेमाल किया गया था और कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गणना कैसे की गई और कट ऑफ सूची कैसे तैयार की गई, और इस प्रकार, उपरोक्त आरोपित आदेशों/नोटिस के अलावा, याचिकाकर्ता दिनांक 15.12.2021 के उक्त संशोधित अंतिम परिणामों पर भी हमला कर रहे हैं।

3. इस प्रकार, उपर्युक्त से व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें संक्षेप में उपरोक्त राहत का दावा किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने पहले 422 अभ्यर्थियों के चयन के साथ शॉर्टहैंड और कंप्यूटर टेस्ट के परिणाम प्रकाशित किए थे, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटियां सामने आईं और इस आधार पर प्रतिवादियों ने परिणामों को संशोधित किया, जिससे पहले चयनित अभ्यर्थियों को चयनित घोषित नहीं किया गया और इसलिए संशोधित परिणाम जारी करना अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

4.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने इस आधार पर परिणामों को संशोधित किया कि अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय त्रुटियों की गणना नहीं की गई थी, लेकिन यदि त्रुटियों की गणना नहीं की गई थी, तो प्रतिवादी किस तरह से त्रुटियों के दायरे को 5% से बढ़ाकर 15% करने के निष्कर्ष पर पहुंचे। यह भी कहा गया कि यदि त्रुटियों की गणना पहले यानी पिछले परिणामों के प्रकाशन से पहले नहीं की गई थी, तो संशोधित परिणामों में योग्यता कम हुई होगी, न कि अधिक, जैसा कि दोनों परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट है।

4.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि संशोधित परिणामों के पश्चात, लगभग 85% अभ्यर्थी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्व में चयनित घोषित किया गया था, संशोधित परिणामों के अनुसार चयनित नहीं हो रहे हैं, तथा ऐसी स्थिति में, प्रतिवादियों का यह कर्तव्य है कि वे कम से कम अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करें तथा उसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएं, ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में निष्पक्ष एवं पारदर्शी पद्धति अपनाई गई है, जो वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

4.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि आशुलिपिक (हिंदी) के चयन के लिए 70 शब्द प्रति मिनट की गति निर्धारित की गई थी, और आशुलिपिक (अंग्रेजी) के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति निर्धारित की गई थी, जो कि पिछले परिणामों में दी गई गति के विपरीत है, जिसमें आशुलिपि गति के संबंध में कई उतार-चढ़ाव थे। यह भी दलील दी गई कि न तो कोई निश्चित विधि है और न ही कोई सूत्र है जिसका उपयोग पूरे परिणाम प्रकाशित करने से पहले किया गया था।

4.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों के अनुसार, तकनीकी त्रुटि के कारण परिणाम संशोधित किए गए थे, और उस स्थिति में, प्रतिवादियों को परिणाम संशोधित करने से पहले, पूरे डेटा और रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए थी, और उसके बाद ही, विसंगतियों या गलत मूल्यांकन का पता चलने पर, प्रतिवादी अपनी आपत्तिजनक कार्रवाई को उचित ठहराने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन प्रतिवादियों ने जल्दबाजी में और बहुत कम समय के भीतर परिणामों को संशोधित करने की कार्यवाही की है, जो स्वयं ही प्रतिवादियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संचालन और अंतिम रूप देने में अपनाई गई पद्धति पर संदेह पैदा करता है।

4.5 ऐसे प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

(ए) सचिन कुमार एवं अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य (2021) 4 एससीसी 631;

(बी) तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 2634/2013 दिनांक 20.03.2013 को निर्णीत) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा;

(सी) कृष्णा राय (मृत) एल.आर. एवं अन्य के माध्यम से बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार एवं अन्य के माध्यम से (सिविल अपील संख्या 4578-4580/2022 दिनांक 16.06.2022 को निर्णीत) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा;

(डी) रामजीत सिंह कर्दम एवं अन्य बनाम संजीव कुमार एवं अन्य एआईआर 2020 एससी 2060;

(ई) राज कुमार एवं अन्य बनाम शक्ति राज एवं अन्य (1997) 9 एससीसी 527;

(एफ) आशा कौल एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (1993) 2 एससीसी 573.

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी, जिनकी सहायता श्री अनिकेत तातेड़ और सुश्री सपना वैष्णव ने की; विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. शर्मा, जिनकी सहायता श्री विष्णु कांत शर्मा ने की, ने याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि प्रतिवादियों ने पहले ही स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) और स्टेनोग्राफर (हिंदी) दोनों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं और याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर करते समय संशोधित परिणामों के अनुसरण में चयनित व्यक्तियों को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया है और इसलिए वर्तमान याचिकाएं केवल इसी आधार पर स्वीकार्य नहीं हैं।

5.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि 03.12.2021 को जिला न्यायाधीशों और सदस्य सचिव, आरएसएलएसए से आशुलिपिकों की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, और इसलिए, अतिरिक्त 60 उम्मीदवारों को 14.12.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और 482 उम्मीदवारों के संशोधित अंतिम परिणाम 15.12.2021 को घोषित किए गए थे, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 11.11.2021, 12.11.2021 और 14.12.2021 को साक्षात्कार के बाद, नियुक्ति आदेश 15.12.2021 के आदेश के तहत जारी किए गए थे, और इस प्रकार, यह रिकॉर्ड को देखने से स्पष्ट है कि पूरी



चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हुई है, और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

5.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रश्नगत परीक्षा की पिछली प्रक्रिया के दौरान, सॉफ्टवेयर एजेंसी ने अंकन प्रणाली में वास्तविक सही शब्दों को नहीं अपनाया और त्रुटियों की उचित कटौती किए बिना उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम प्रकाशित किए गए और केवल सही टाइप किए गए शब्दों के आधार पर अंक दिए गए और कुछ अन्य विसंगतियां भी पाई गईं; वास्तविक अंक केवल सूत्र लागू करके ही पता लगाए जा सकते हैं अर्थात "वास्तविक सही शब्द = कुल लिखे गए शब्द - वास्तविक की गई गलतियाँ।"

5.2.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि पिछला परिणाम सही टाइप किए गए शब्दों के आधार पर गणना किए गए अंकों पर आधारित था, जबकि संशोधित परिणाम में अंकों की गणना वास्तविक सही शब्दों के आधार पर की गई थी, जिन्हें कुल लिखे गए शब्दों में से वास्तविक की गई गलतियों को घटाकर निर्धारित किया गया था, और फिर कट ऑफ अंक बढ़ गए। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उपर्युक्त सूत्र को उचित रूप से लागू करने के बाद, प्रतिवादियों ने आक्षेपित कार्रवाई करके परिणामों को संशोधित किया।

5.3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि गलती की सीमा को 5% से बढ़ाकर 15% करने के बारे में नीतिगत निर्णय पहले परिणाम घोषित होने से पहले ही ले लिया गया था और इसे संबंधित संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर लागू किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि उत्तरदाताओं को 30.06.2021 के पिछले परिणाम तैयार करते समय मूल्यांकन और परिणाम सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी समस्याएं मिलीं और उस समय, उपरोक्त सूत्र को उचित रूप से लागू नहीं किया गया था।

5.4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विचाराधीन परीक्षा में कुल लिखवाए गए शब्द 420 थे, तथापि, दिनांक 03.04.2021 को शिफ्ट-1 में आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सेंटर कोड 1001) में 48 शब्दों के पश्चात गद्यांश लिखवाना प्रारंभ हुआ तथा कुल 372 (420-48) शब्द लिखवाए गए। दिनांक 30.06.2021 के पिछले परिणाम में अधिकतम निर्धारित समय 5.19 मिनट मानकर गति की गणना की गई थी, जो तकनीकी रूप से सही नहीं थी, तथा संशोधित परिणाम में अधिकतम निर्धारित समय 5.314285714 मिनट मानकर गति की गणना की गई तथा 372 शब्दों के संबंध में 15% गलतियों की संभावना 55.80 मिनट थी, जो तकनीकी रूप से सही है।

5.5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया क्योंकि पिछले परिणाम के अनुसरण में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई नियुक्ति नहीं दी गई और कोई दस्तावेज सत्यापन नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत विज्ञापन के खंड 13 उपखंड 4 (मूल्यांकन पद्धति) के अनुसार, शब्दों या आंकड़ों आदि की चूक को गलतियों के रूप में गिना जाना निर्धारित किया गया था। उक्त खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है-

“(4) मूल्यांकन की विधि (मूल्यांकन पद्धति):

(1) गलतियों को पूर्ण या आंशिक गलतियों के रूप में गिना जाएगा, जैसा भी मामला हो:-

(क) निम्नलिखित को पूर्ण गलतियों के रूप में गिना जाएगा:-

(1) अंक के शब्दों का लोप।

(2) गलत शब्द या अंक का प्रतिस्थापन।

(3) गलत वर्तनी।

(4) दो आंशिक गलतियाँ एक पूर्ण गलती के बराबर होंगी।

(ख) निम्नलिखित को आंशिक गलतियों के रूप में गिना जाएगा:-

(1) विराम चिह्नों में त्रुटि।

(2) बड़े या छोटे अक्षरों का गलत उपयोग।

(3) पैराग्राफ का गलत इंडेंटेशन।

(2) 5% गलतियों की छूट दी जा सकती है। यदि गलतियाँ/चूक लिखित अंश के 5% से अधिक हैं, तो 5% से अधिक गलतियों की संख्या लिखित अंश की कुल संख्या या शब्दों से घटा दी जाएगी और गति की गणना की जाएगी।”

5.6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त फार्मूला पिछली भर्ती के साथ-साथ वर्तमान भर्ती में भी समान रूप से लागू है, तथा भविष्य की भर्ती में भी लागू रहेगा, और इसलिए, संशोधित परिणाम घोषित करने में प्रतिवादियों की कार्यवाही में कोई अवैधता और कोई मनमानी नहीं है।

5.7. इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

(क) अशोक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2017) 4 एससीसी 357;

(ख) सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं अन्य बनाम अनीता पुरी एवं अन्य (1996) 6 एससीसी 282;

(ग) प्रबोध वर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1984) 4 एससीसी 251;

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने अपने जवाबी तर्कों में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने अंतिम संशोधित परिणामों के प्रकाशन से पहले तत्काल याचिकाएँ प्रस्तुत की थीं और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि ऐसे अंतिम परिणाम रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे, और इसलिए, केवल इस आधार पर प्रतिवादियों की कार्रवाई उचित नहीं है।

6.1. यह भी कहा गया कि जब संशोधित परिणामों में गलतियों पर विचार किया गया, तो कट ऑफ अंक कम हुए होंगे, न कि बढ़ाए गए होंगे। यह भी कहा गया कि सही शब्दों का पता लगाने का सूत्र न तो संबंधित विज्ञापन में उल्लेखित था और न ही संशोधित/संशोधित परिणामों में इसका उल्लेख किया गया था।

6.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रिस्तरीय स्थापना नियम, 1986 के नियम 10 के अनुसार, उम्मीदवारों को न्यूनतम आशुलिपि गति के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, तभी उन्हें परीक्षा की आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र घोषित किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादियों की कार्रवाई से न केवल कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिला, बल्कि गलत परिणाम भी जारी हुए।

6.3. यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में बताया कि आर्य इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सेंटर कोड 1002) में अनुच्छेद की डिक्टेसन 97 शब्दों के बाद शुरू की गई (कुल डिक्टेट किए जाने वाले शब्द 420 थे) और अंत तक कुल मिलाकर केवल 108 शब्दों तक ही डिक्टेसन जारी रहा, जिससे स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को भ्रम हुआ और प्रतिवादियों ने प्रश्नगत परीक्षा के दौरान अनियमितता पैदा की।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

8. इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने राज्य में जिला न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर

ग्रेड-III (हिंदी/अंग्रेजी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 18.01.2020 को एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र जमा किया और भर्ती प्रक्रिया (शॉर्टहैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट) में भाग लिया, जो 03.04.2021 और 08.04.2021 के बीच आयोजित की गई थी; इसके बाद प्रतिवादियों ने 30.06.2021 को परिणाम घोषित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से योग्य घोषित किया गया।

8.1. तत्पश्चात, प्रतिवादियों ने दो स्लॉट में अनंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए नोटिस जारी किया और उसके बाद, प्रतिवादियों ने 30.06.2021 के नोटिस के माध्यम से परिणाम घोषित किए और 31.07.2021 को अंतिम परिणाम घोषित किए।

8.2. उपरोक्त परिणामों से व्यथित होकर, कुछ उम्मीदवारों ने इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उपरोक्त रिट याचिका दायर की, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.10.2021 के आदेश के तहत मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके बाद, प्रतिवादियों ने दिनांक 28.10.2021 के आक्षेपित आदेश के तहत पिछले परिणामों को रद्द कर दिया।

9. तत्पश्चात, प्रतिवादियों ने दिनांक 30.10.2021 के आक्षेपित नोटिस के माध्यम से संशोधित परिणामों में चयनित घोषित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार की अनुसूची जारी की और उसके बाद, आशुलिपिकों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण, अतिरिक्त 60 उम्मीदवारों को 14.12.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और दिनांक 15.12.2021 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से संशोधित अंतिम परिणाम घोषित किए गए और तदनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

10. यह न्यायालय यह मानता है कि पहले प्रतिवादियों ने परिणाम घोषित कर दिए थे, लेकिन उसके बाद यह पाया गया कि मूल्यांकन सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का उचित निर्धारित फार्मूला लागू नहीं किया जा सका। उक्त फार्मूला नीचे प्रस्तुत है:-

"गति = टाइप किए गए वास्तविक सही शब्द + अनुमेय 5% गलतियाँ या  
वास्तव में की गई  
गलतियाँ (जो भी कम हो)

## श्रुतलेख की अवधि (6 मिनट)

अंक = वास्तविक सही टाइप किए गए शब्द x अधिकतम अंक (100)

### कुल श्रुतलेख किए गए शब्द

वास्तविक सही शब्द = कुल श्रुतलेख किए गए शब्द - वास्तव में की गई गलतियाँ”

10.1. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि गलतियों की सीमा को 5% से बढ़ाकर 15% करने के संबंध में नीतिगत निर्णय प्रथम परिणाम से पहले लिया गया था और यह सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू था, और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा लिए गए उक्त निर्णय में कोई अवैधता नहीं है।

11. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि कुल लिखे गए शब्द 420 थे और सूत्र था वास्तविक सही शब्द = कुल लिखे गए शब्द-वास्तविक की गई गलतियाँ। इस न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि सॉफ्टवेयर में त्रुटियों के कारण पिछली प्रक्रिया में वास्तविक सही शब्दों के बजाय केवल सही शब्दों के आधार पर अंक दिए गए थे।

11.1. बेहतर समझ के लिए, उत्तरदाताओं के उत्तर में कुछ उम्मीदवारों के परिणाम निम्नानुसार हैं:-

### पिछला परिणाम

30.06.2021 और 31.07.2021 के परिणामों के अनुसार					
रोल न.	सही टाइप किए गए शब्द	की गई वास्तविक गलती	गति	अंक	टिप्पणी
25595	389	34.5	70.583	92.619	चयनित
35868	371	50	70.167	88.333	चयनित
39245	361	61	70.333	85.952	चयनित
27522	357	65	70	85	चयनित
38478	364	65	71.167	86.667	चयनित
37319	403	17.5	70.083	95.952	1 <sup>st</sup> रैंक
33371	406	11	69.5	96.667	असफल
17868	404	11.5	69.25	96.19	असफल
38516	403	13	69.3	95.952	असफल

## संशोधित परिणाम

28.10.2021 और 15.12.2021 के परिणामों के अनुसार						
रोल न.	सही टाइप किए गए शब्द	की गई वास्तविक गलती	वास्तविक सही शब्द	गति	अंक	टिप्पणी
25595	389	34.5	385.5	70	91.786	अचयनित
35868	371	50	370	70	88.095	अचयनित
39245	361	61	359	70	85.476	अचयनित
27522	357	65	355	69.667	84.524	असफल
38478	364	65	355	69.667	84.524	असफल
37319	403	17.5	402.5	70	95.833	36 <sup>th</sup> रैंक
33371	406	11	409	70	97.381	1 <sup>st</sup> रैंक
17868	404	11.5	408.5	70	97.262	2 <sup>nd</sup> रैंक
38516	403	13	407	70	96.905	3 <sup>rd</sup> रैंक

11.2. बेहतर समझ के लिए, यह न्यायालय उपरोक्त तालिका से एक उदाहरण लेता है, जो रोल नंबर 25595 है; अभ्यर्थी को कुल 420 शब्द लिखवाए गए थे और टाइप किए गए वास्तविक सही शब्द 385.5 थे और संशोधित परिणामों में उत्तरदाताओं द्वारा लागू किए गए फॉर्मूले के अनुसार वास्तविक गलती 34.5 ( $385.5+34.5=420$  शब्द) थी; और उपरोक्त के दूसरे कॉलम में, पिछला परिणाम है, टाइप किए गए सही शब्द 389 ( $389+34.5=423.5$ ) थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले परिणामों में, फॉर्मूला सही ढंग से लागू नहीं किया गया था और यह उपरोक्त तालिका के साथ-साथ उपरोक्त उदाहरण में भी परिलक्षित होता है।

12. इस न्यायालय ने यह भी देखा कि कुछ संस्थानों/परीक्षा केंद्रों में, प्रश्नगत परीक्षा की कुछ पारियों में, शब्दों की श्रुतलेखीकरण बाद में शुरू किया गया था, तथा 420 शब्दों की पूरी श्रुतलेखीकरण भी नहीं दी गई थी। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि यद्यपि कुछ अभ्यर्थियों को श्रुतलेखीकरण के लिए कम समय दिया गया था, लेकिन साथ ही, उन्हें सुनाए गए शब्द भी उसी अनुपात में कम थे, इस प्रकार, प्रश्नगत परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों के संबंध में एकरूपता बनाए रखी गई।

13. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त फार्मूला वर्तमान भर्ती से पहले भी प्रचलन में था और स्टेनोग्राफर की बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में भी। हालांकि, पिछले परिणामों में, इस भर्ती में तकनीकी कारणों से फार्मूला लागू नहीं किया जा सका और जब प्रतिवादियों को ऐसी त्रुटियां मिलीं, तो उन्होंने फार्मूले के उचित अनुप्रयोग के बाद परिणामों को संशोधित किया, जो कानून में उचित है।

14. यह न्यायालय यह भी मानता है कि पिछली प्रक्रिया में प्रतिवादियों ने कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया था और उम्मीदवारों के दस्तावेजों का कोई सत्यापन नहीं किया गया था, इसलिए, विचाराधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद प्रतिवादियों ने आक्षेपित आदेशों के तहत परिणामों को संशोधित किया और वर्ष 2021 में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए और सभी चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने के बाद पिछले दो वर्षों से अधिक समय से संबंधित स्थान पर काम कर रहे हैं और उक्त उम्मीदवार वर्तमान याचिकाओं में पक्षकार भी नहीं हैं।

15. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं किया गया है, क्योंकि पिछला परिणाम स्वयं गणना सूत्र के उचित तरीके से लागू न होने के कारण मान्य नहीं है, जो उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।

16. यह न्यायालय यह भी मानता है कि सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से, मेधावी उम्मीदवारों का चयन करना आवश्यक है और उचित फार्मूला लागू करना और उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए, निर्धारित सूत्र के अनुप्रयोग की अनुपस्थिति में, मूल्यांकन सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के कारण, संशोधित परिणाम घोषित करने में प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई उचित है, और इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदान किए गए मेधावी उम्मीदवारों के अधिकारों की भी रक्षा की है।

17. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि प्रतिवादियों ने संशोधित परिणामों के माध्यम से गलतियों को सुधार लिया है, जो उनके लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प है, क्योंकि प्रश्नगत भर्ती के उद्देश्य से, उम्मीदवारों की आवश्यकता तकनीकी त्रुटियों का पता लगाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने अर्थात् परिणामों में संशोधन करने के रास्ते में नहीं आ सकती है, जो कि वर्तमान मामले में प्रतिवादियों द्वारा उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए निर्धारित सूत्रीकरण को उचित रूप से लागू करके किया गया है। प्रतिवादियों का उक्त अभ्यास किसी भी अवैधता या मनमानी से ग्रस्त नहीं है।

18. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि उपर्युक्त सूत्र कोई नया नहीं है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा पहली बार लागू किया गया है, क्योंकि इसे पहले भी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू किया गया था और बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू किया गया है। इस प्रकार, इस आधार पर भी, प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई कानून में उचित है।

19. यह न्यायालय यह भी मानता है कि इस प्रकार लागू किया गया निर्धारित फार्मूला विज्ञापन में उल्लेखित नहीं था, लेकिन यह खेल के नियमों को बदलने का मामला नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में प्रश्नगत विज्ञापन जारी होने से पहले भी निर्धारित फार्मूला प्रचलन में था, और यह बाद की चयन प्रक्रियाओं के लिए भी लागू रहा है। इसलिए, पूरी चयन प्रक्रिया दोषरहित है, इसमें कोई अवैधता नहीं है और फार्मूला सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू किया गया है, भले ही विज्ञापन में इसका उल्लेख किया गया हो या नहीं। इसके अलावा, उपरोक्त निर्धारित फार्मूला मूल्यांकन की विधि का हिस्सा है, न कि भर्ती की विधि का, और भर्ती की विधि का विज्ञापन में उचित रूप से उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि प्रतिवादियों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिणामों को संशोधित किया है, और उक्त उद्देश्य के लिए, अन्य बातों के अलावा, मूल्यांकन के लिए निर्धारित और समान फार्मूला लागू किया गया है।

20. याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत निर्णयों से उनके मामले में कोई सहायता नहीं मिली।

21. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

22. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

### राजेंद्र प्रकाश सोनी, जे.

1. मुझे अपने विद्वान भाई डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी द्वारा तैयार किए गए फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है और मैं उनसे पूरी तरह और सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। हालांकि, शामिल मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने भाई न्यायाधीश की राय के अलावा तर्क को पूरक करने के लिए अपने कुछ विचार लिखना उचित समझता हूँ।

2. परिणाम तैयार करने का काम एक आउटसोर्स तकनीकी एजेंसी को दिया गया था जो प्रतिवादी भर्ती प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में थी। परिणाम तैयार करने के लिए "मूल्यांकन पद्धति" पर आधारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम एजेंसी द्वारा ही बनाया गया था। एजेंसी से अपेक्षा की गई थी कि वह भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित "मूल्यांकन पद्धति" को सही ढंग से लागू करके कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करेगी।



3. जब दिनांक 31.07.2021 को प्रथम परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रतिवादी को कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन कार्यक्रम में तकनीकी कमियों का मुद्दा उठाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए तथा रिट याचिकाएं भी दायर की गईं, ऐसी स्थिति में प्रतिवादियों के लिए यह आवश्यक एवं समीचीन था कि वे कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन के तरीके की जांच करें तथा शॉर्टहैंड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की जांच करें। प्रतिवादियों की ओर से ऐसा करना उचित था, क्योंकि प्रतिवादी उठाई गई आपत्तियों पर आंखें नहीं मूंद सकते थे।

4. कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन कार्यक्रम की जांच करने पर पाया गया कि असावधानी के कारण, “गलतियाँ” अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों से घटा दी गईं, न कि “श्रुतलेख किए गए शब्दों से”। एजेंसी ने गलतियों का ठीक से हिसाब नहीं रखा। इसके कारण, भर्ती विज्ञापन में अधिसूचित “मूल्यांकन पद्धति” को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आलोक में, सक्षम प्राधिकारी ने एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन की फिर से समीक्षा की और तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का निर्णय लिया।

5. मेरे विचार में, उत्तरदाता को आम तौर पर परिणामों में पाई गई त्रुटियों को सुधारने का अधिकार था, जो किसी तीसरे पक्ष यानी एजेंसी द्वारा की गई पाई गई थी। परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करना भर्ती प्रक्रिया में शुद्धता, निष्पक्षता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण था। गलतियों को सुधारने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उम्मीदवारों को वह योग्यता मिले जिसके वे हकदार हैं और उनकी उपलब्धियाँ सटीक रूप से दर्शाई गई हैं। गलतियों को सुधारना उत्तरदाताओं की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है क्योंकि उत्तरदाता उम्मीदवारों के मूल्यांकन की सटीकता के लिए जवाबदेह थे। यह दर्शाता है कि उत्तरदाता ने चिंता को गंभीरता से लिया और उन्हें संबोधित करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार था। यह भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और भरोसेमंदता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक था।

6. ऐसी स्थिति में परिणाम में संशोधन अपरिहार्य हो गया था और संबंधित व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करते हुए ऐसा किया गया है। त्रुटि रहित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए त्रुटियों को ठीक करने के बाद अंतिम रूप से परिणाम घोषित किया गया। चयन प्रक्रिया के बीच में न तो मूल्यांकन की पद्धति बदली गई और न ही चयन के मानदंडों में कोई बदलाव किया गया।

7. इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्तमान भर्ती के लिए परिणाम में संशोधन लागू नहीं किया जा सकता था या यह दौड़ शुरू होने के बाद दौड़ के नियमों को बदलने का मामला था, सही नहीं है।

8. अब सवाल यह उठता है कि क्या गलत तरीके से चयनित व्यक्ति को नियुक्ति पाने का अधिकार है? जब जिस मूल्यांकन पद्धति के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, वह तकनीकी कारणों से सही तरीके से लागू नहीं हो सकी, तो गलत मूल्यांकन के आधार पर चयन नहीं हो सकता और न ही गलती से चयनित व्यक्तियों को कोई कानूनी अधिकार मिल सकता है।

9. विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा परिणाम में संशोधन के कारण कोई वैध अपेक्षा उत्पन्न हुई है, क्या यह मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन का मामला है और यदि ऐसा है, तो ऐसी अपेक्षा के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं को क्या उपाय दिया जा सकता है। मेरे विचार में, यदि किसी उम्मीदवार को किसी पद के लिए गलत तरीके से चुना गया है और चयन निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में किया गया है, तो गलत तरीके से चयनित व्यक्ति को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी चयन प्रक्रिया किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पाने के किसी भी अधिकार की पुष्टि नहीं करती है।

10. मेरा स्पष्ट मत है कि गलत चयन प्रक्रिया के लाभार्थियों को बाद में की गई सही चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी विशेष पद पर नियुक्त होने का कोई निर्धारित अधिकार नहीं है और इसलिए प्रतिवादियों द्वारा परिणाम में संशोधन करने से याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियों को ठीक करने के बाद नया परिणाम घोषित किया गया है तो किसी भी अनियमितता या अवैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

11. दिनांक 18.01.2020 के विज्ञापन में परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी। इन विवरणों की जानकारी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया, इसलिए, परीक्षा में असफल होने के बाद, याचिकाकर्ताओं को मूल्यांकन की पद्धति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

12. परीक्षा योजना और मूल्यांकन पद्धति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:-

ए. शॉर्ट-हैंड टेस्ट 6 मिनट की अवधि का था, जिसके दौरान अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट थी, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षक द्वारा कुल 480 शब्दों का

डिक्टेसन दिया जाना था। उम्मीदवारों से यह डिक्टेसन 50 मिनट के भीतर टाइप करने की अपेक्षा की गई थी।

बी. कुल 6 प्रकार की गलतियाँ निम्नानुसार गिनाई गई:-

- (i) शब्दों या आंकड़ों का लोप
- (ii) गलत शब्दों या आंकड़ों का प्रतिस्थापन
- (iii) गलत वर्तनी
- (iv) विराम चिह्नों में त्रुटि या चूक
- (v) बड़े या छोटे अक्षरों का गलत उपयोग
- (vi) पैराग्राफ का गलत इंडेंशन

सी. 5% गलतियों की अनुमति थी जिसे बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया गया।

डी. गलतियों को श्रुतलेख किए गए शब्दों की कुल संख्या में से घटाया जाना था।

13. यह सच है कि विज्ञापन में शॉर्ट-हैंड टेस्ट के मूल्यांकन के लिए कोई अलग सूत्र नहीं बताया गया था। हालाँकि, मूल्यांकन पद्धति के विवरण में ही मूल्यांकन की विधि स्पष्ट थी। कुल "श्रुतलेख किए शब्दों" से गलतियाँ निकालने का तथ्य विज्ञापन में ही स्पष्ट कर दिया गया था।

14. ऐसी स्थिति में, "कुल गलतियों" को "कुल श्रुतलेख किए गए शब्दों" में से घटाने के बाद, शेष शब्द उम्मीदवार द्वारा "कुल सही ढंग से टाइप किए गए शब्द" बनते हैं। शॉर्टहैंड पेपर 100 अंकों का था। इस मामले में, "सही ढंग से टाइप किए गए शब्दों" की कुल संख्या को "कुल श्रुतलेख किए गए शब्दों" की कुल संख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करने पर उम्मीदवार को "प्राप्त अंक" मिलते हैं, और शॉर्टहैंड टेस्ट के अंकों की गणना करने का यही एकमात्र तरीका हो सकता था।

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने "श्रुतलेख किए गए शब्दों" में से "की गई गलतियों" को घटाने की शुद्धता पर विवाद किया है।

16. बेहतर समझ के लिए, इसे दो उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है।

17. सबसे पहले, अंग्रेजी में, यदि कोई उम्मीदवार 50 मिनट की निर्धारित अवधि के भीतर सभी 480 शब्द टाइप करता है और "शून्य" गलतियाँ करता है, तो उसके द्वारा "सही ढंग से टाइप किए गए शब्दों" की कुल संख्या 480 होगी, और इस मामले में, उसे 100% अंक प्राप्त करने वाला कहा जाएगा।

18. दूसरा, यदि कोई अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए निर्धारित 50 मिनट की अवधि में 480 में से 460 शब्द टाइप करता है और वह "शून्य" गलतियाँ भी करता है, तो

"सही ढंग से टाइप किए गए शब्दों" की कुल संख्या 460 होगी। इस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने 100% अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि "चूक" भी एक गलती है और उसने 20 "चूक" गलतियाँ की हैं। इस स्थिति में, उसे 95.83% अंक प्राप्त हुए माने जाएँगे, हालाँकि उसने जो भी शब्द टाइप किए थे, वे सभी सही थे। यही कारण है कि "कुल श्रुतलेख किए शब्दों की संख्या" को प्रदर्शन मूल्यांकन का आधार बनाया गया।

19. उपर्युक्त के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता कि बाद में सही ढंग से लागू की गई मूल्यांकन पद्धति याचिकाकर्ताओं के लिए आश्चर्य की बात थी।

20. याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क का अगला और बहुत महत्वपूर्ण आधार यह है कि उम्मीदवारों द्वारा की गई गलतियों के प्रभाव में आने के बाद, संशोधित परिणाम में कट ऑफ बढ़ गया, जो कि आदर्श रूप से पहले के कट-ऑफ से कम होना चाहिए था, क्योंकि एजेंसी की गलती के कारण पहले नकारात्मक अंकन को छोड़ दिया गया था।

21. मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों की दलीलों से प्रभावित नहीं हूँ। यह एक ऐसा तर्क है जो पहली नज़र में आकर्षक लगता है लेकिन बारीकी से जाँच करने पर यह उतना ठोस नहीं लगता जितना आकर्षक है। इसे इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर हम सबसे पहले गलतियों को छोटे अंक (यानी उम्मीदवार द्वारा टाइप किए गए कुल शब्द) की संख्या से घटाएँ और फिर बड़े अंक (यानी कुल श्रुतलेख किए गए शब्द) की संख्या से घटाएँ, तो बाद की प्रक्रिया से प्राप्त संख्यात्मक परिणाम निश्चित रूप से पहले के परिणाम से अधिक होगा। इस प्रक्रिया में, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक बढ़ेंगे और घटेंगे नहीं।

22. इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी कुल 480 शब्दों में से 460 शब्द अंग्रेजी में टाइप करता है और टाइपिंग में 10 गलतियाँ करता है, तो पहले और दूसरे परिणाम में प्राप्त अंकों में अंतर इस प्रकार होगा:

विवरण	पहला मूल्यांकन	दूसरा मूल्यांकन
कुल श्रुतलेख किए गए शब्द	480	480
अभ्यर्थी द्वारा टाइप किये गये कुल शब्द	460	460
कुल की गई गलतियाँ (20 चूक की गलतियाँ और 10 टाइपिंग की गलतियाँ)	30	30
सही टाइप किए गए शब्दों की कुल संख्या (नोट- पहले परिणाम में, चूँकि "कुल टाइप किए गए शब्दों" में से 30 गलतियाँ घटा दी गई थीं, इसलिए "सही टाइप किए गए शब्दों" की कुल संख्या 430 थी। जबकि, दूसरे परिणाम में, चूँकि "कुल श्रुतलेख किए गए शब्दों" में से 30 गलतियाँ घटा दी गई थीं, इसलिए "सही टाइप किए गए शब्दों" की कुल संख्या 450 थी)	430	450
प्राप्त अंक	89.58%	93.75%

(गणना के सूत्र के अनुसार प्रतिशत अर्थात् सही ढंग से टाइप किए गए शब्द X 100 ÷ कुल श्रुतलेख किए गए शब्द)		
--	--	--

23. उपरोक्त कारणों से उपरोक्त उदाहरण में कट-ऑफ अंकों में 89.58% से 93.75% तक की वृद्धि स्वाभाविक थी। इसलिए, मुझे उक्त तर्क में भी कोई दम नहीं दिखता।

24. गलतियों की सीमा को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय दोनों परिणामों की घोषणा में समान रूप से लागू किया गया और प्रत्येक उम्मीदवार के संदर्भ में प्रभावी बनाया गया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क पूरी तरह से निराधार है। ऐसा सभी पदों को भरने की संभावना को बढ़ाने और पदों के खाली रहने की संभावना से बचने के लिए किया गया था ताकि भर्ती प्रक्रिया को बार-बार टाला जा सके।

25. यह भी उल्लेख करना उचित है कि दिनांक 31.07.2021 के नोटिस के आधार पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशें अनंतिम थीं और विज्ञापन और नियमों के अनुसार अन्य शर्तों के अधीन थीं, जैसे कि मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था और नियुक्ति प्राधिकारी को राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक स्थापना नियमों के नियम 23(1) की प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक था। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते थे।

26. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मानना है कि याचिकाकर्ताओं ने ये याचिकाएँ अनुमान और कयास के आधार पर काल्पनिक आधार पर दायर की हैं। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परिणामों को पूरी तरह से न्यायोचित और वैध कारणों के आधार पर संशोधित किया गया है। यह याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षाओं के उल्लंघन में परिणाम को रद्द करने का मामला नहीं है और इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।